राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 21 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

II- श्री हरि सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, टाड़गढ़ रावली राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य (कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा) आरक्षित वन सीमा तक ही सीमित रखने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2012-2013 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- जनलेखा समिति, 2010-11 के 64वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 209वॉ प्रतिवेदन।

2- जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 95वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 210वॉ प्रतिवेदन।

3- जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 104वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 211वॉ प्रतिवेदन।

4- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 3.3.5 में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग तथा वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.2.3, 3.2.4 एवं 3.4.3 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 212वॉ प्रतिवेदन।

जारी..2..

5- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 3.1.6 में समाविष्ट आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 213वॉ प्रतिवेदन।

6- वर्ष 2007-08 के लिए सी.ए.जी.प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) में समाविष्ट भू-राजस्व एवं विद्युत कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 214वॉ प्रतिवेदन।

7- जनलेखा समिति वर्ष 2009-10 के 31वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में माविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 215वॉ प्रतिवेदन।

8- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तत्स्थानीय अध्ययन यात्रा कार्यक्रम के दौरान समिति के ध्यान में आये विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के अन्तर्गत जनलेखा समिति, 2012-13 का 216वॉ विशेष प्रतिवेदन।

9- सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.5.1 में समाविष्ट खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 217वॉ प्रतिवेदन।

10- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.3.7 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 218वॉ प्रतिवेदन।

11- सी.ए.जी. प्रतिवेदन(राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 2.6 में समाविष्ट सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 219वॉ प्रतिवेदन।

12- सी.ए.जी. प्रतिवेदन(राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 220वॉ प्रतिवेदन।

13- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 221वॉ प्रतिवेदन।

14- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 222वॉ प्रतिवेदन।

जारी..3..

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	13- आबकारी
2.	42- उद्योग
3.	43- खनिज

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट – आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-3)	‘’वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।‘’

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 20 मार्च, 2013